आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 148/13–14

यशोमती देवी वनाम् मधेश्वर चौधरी

आदेश

आवेदिका यशोमती देवी पति राम जन्म चौधरी,ग्राम+पोस्ट–हसनपुर,थाना+जिला–अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर सीमांकन उपरान्त अवैध वेदखली की स्थिति में दखल कब्जा दिलाने एवं पीलरींग कराने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम हसनपुर,थाना अरवल थाना नं० 94, जिला अरवल मे अवस्थित है निम्न है:–

खाता	प्लॉट	रकवा	चौहद्दी
185	209	2 कट्टा	उतर–भिखारी सिंह दक्षिण–मधेश्वर चौधरी पूरब–खरीदार पश्चिम–अवध विहारी चौधरी

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षी की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि आवेदक को निबंधित केवाला के माध्यम से खरीदगी भूमि है जिसका दाखिल खारीज आवेदक के नाम से हो चुका है और राजस्व रसीद का भुगतान कर रहे है।

(2) आवेदक कॉज ऑफ एक्सन दिनांक 15.06.13 को विपक्षी ने पुलिस अधीक्षक के यहॉ आवेदन देकर उत्पन्न विवाद को समाप्त करने का आग्रह किया था। जिसपर स्थानीय थाना द्वारा सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त श्री पी०सी०महाराज से मापी कराई गई थी, जो विपक्षी नही मानते है।

(3) आवेदिका के पति भारतीय थल सेना से सेवा निवृत है। जबकि विपक्षी प्रतिबंधित पाट्टी से संबंधित है,पाट्टी के बल पर खरीदगी भूमि को हड़पना चाहते है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मॉगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि शिव गुलाम चौधरी के नाम से खतियानी भूमि है।

(2) द्वितीय पक्ष का वंशावली निम्न है:–

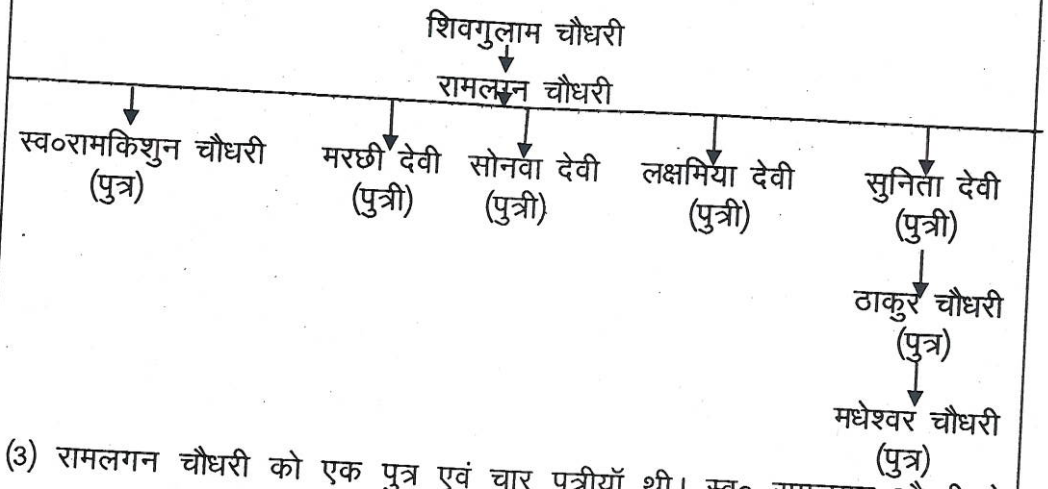

(3) रामलगन चौधरी को एक पुत्र एवं चार पुत्रीयॉ थी। स्व० रामलगन चौधरी ने अपनी उक्त भूमि से चार कट्टा भूमि खानगी तौर पर सुमित्रा देवी को दिया था। जिस पर शांतिपूर्वक कब्जे में आई। सुनिता देवी के मृत्यु के वाद उनके एक मात्र पुत्र उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज हुए। ठाकुर चौधरी एवं उनके पुत्र मधेश्वर चौधरी के बीच खानगी बॅटवारा हुआ,जो 2 कट्टा भूमि पर शांतिपूर्वक चले आ रहे है।

(4) विवादित भूमि आवासीय है जिसपर विपक्षी का मकान बना हुआ है।

(5) आवेदिका ने एक अनाधिकृत व्यक्ति को खड़ा कर भूमि का रजिस्ट्री करवाया और जबरदस्ती उक्त भूमि पर काबिज होने की अपराधिक कृत्य अपने परिवारिक सदस्यों से कर रही है।

(6) आवेदिका द्वारा उक्त भूमि का रिर्टन फर्जी है क्योंकि उसे निर्गत करने का कोई प्रमाण,मुहर तथा अधिकृत हस्ताक्षर उस पर नही है।

(7) विवादित भूमि खतियान में गैरमजरूआ भूमि मालिक ठिकेदार,मोकिरदार वो विसुनवार वो वनहार दर्ज है जिसका कुल रकवा 16 एकड़ 8 डी० है। उक्त भूमि का रिर्टन विक्रेता के नाम से नही है तो उनके द्वारा भूमि का खरीद विक्री किया जाना अविधिक गैर कानूनी है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदिका ने विवादित भूमि पर दावा दिनांक 04.08.12 के

निबंधित केवाला के आधार पर किया है जिसे उन्होनें ब्रजमोहन चौधरी पिता स्व० कामेश्वर प्रसाद से क्रय किया है। उपरोक्त केवाला में अंकित है कि विवादित भूमि बिक्रेता की मौरूसी भूमि है। विवादित भूमि के खतियान का अवलोकन किया। खतियान गैरमजरूआ मालिक मोकरीदार वो विशुनआर वो बनहार वो ठिकेदार है। आवेदक के द्वारा विवादित भूमि का रिटर्न की प्रति भी दाखिल की गई है। परन्तु उक्त रिटर्न की प्रति में किसी का भी हस्ताक्षर या मुहर नही है। इस परिस्थिति में उक्त दाखिल रिटर्न की मान्यता नही दी जा सकती है। साथ ही उक्त रिटर्न विष्णुधारी चौधरी वल्द मनबोध चौधरी,वो शिव रजिया जौजे राजा राम चौधरी वो महरजिया जौजे जगदीश नारायण चौधरी वो कामेश्वर प्रसाद वल्द जैराम किशोर के नाम से है। आवेदक के भूमि बिक्रेता का रैयत से क्या संबंध है,स्पष्ट नही किया गया है । साथ ही आवेदक के द्वारा सिर्फ 2012–2013 का एक राजस्व रसीद जमा किया गया है,पूर्व का राजस्व रसीद नही जमा किया गया जिससे यह साबित हो सके कि आवेदक के भू–विक्रेता के नाम काफी पूर्व से रसीद कट रहा है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक द्वारा मॉगा गया अनुतोष को स्वीकृत नही किया जा सकता है,वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

30.10.17

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

30.10.17

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।